गृहराज्य मंत्री बेढ़म ने बृजनगर में पुलिस प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया

डीग भरतपुर । राजस्थान सरकार के गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने शनिवार को बृजनगर विधानसभा में आयोजित एक गरिमामयी और वृहद प्रशासनिक समारोह में क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को गति प्रदान करते हुए दो अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को धरातल पर उतारा। राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों और सुशासन के संकल्प को मूर्त रूप देते हुए, गृहराज्य मंत्री ने पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण और कृषक वर्ग के आर्थिक उत्थान की दिशा में अहम कदम उठाए।

समारोह के प्रथम चरण में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बृजनगर पुलिस थाने के बहुप्रतीक्षित नवीन प्रशासनिक भवन की विधिवत आधारशिला रखी। रू 3.60 करोड़ स्वीकृत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति से निर्मित होने वाले इस भवन का भूमि-पूजन पूर्ण वैदिक रीति-रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ।

इस अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह और प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि एक भयमुक्त और सुरक्षित समाज की स्थापना के लिए पुलिस बल का सक्षम, साधन-संपन्न और आधुनिक होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान राज्य सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।

इस नवीन और सर्वसुविधायुक्त प्रशासनिक भवन के निर्माण से न केवल पुलिस अधिकारियों और जवानों को एक उत्कृष्ट एवं तनावमुक्त

राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुलिस थाना बृजनगर के नवीन भवन की आधारशिला रखी।

कार्य-वातावरण प्राप्त होगा, बल्कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुनवाई और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण में भी अभूतपूर्व सुगमता आएगी।

इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक डीग ओम प्रकाश मीना विशेष रूप से उपस्थित रहे। बेढ़म ने पुलिस अधीक्षक और संबंधित निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में उच्च कोटि की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और

■ कृषि मंडी में रू 158 लाख के नवनिर्मित डोम का भव्य लोकार्पण

इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर जनता की सेवा में समर्पित किया जाए। समारोह के द्वितीय चरण में गृह राज्य मंत्री बेढ़म ने अन्नदाता किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कृषि उपज मंडी समिति, बृजनगर के प्रांगण में नवनिर्मित विशाल डोम का फीता काटकर एवं पट्टिका का अनावरण कर विधिवत लोकार्पण किया। पट्टिका पर अंकित विवरण के अनुसार, इस वृहद संरचना का निर्माण रू 158.00 लाख (1.58 करोड़ रुपये) की लागत से किया गया है। इस महत्वपूर्ण लोकार्पण के पश्चात

शातिर नकबजन गिरफ्तार

फुलेरा। फुलेरा पुलिस ने सूने मकानों में चोरी की वारदात करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। फुलेरा थानाधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि विगत 19 जनवरी को परिवादी प्रेमलता पत्नी सत्यनारायण ने रिपोर्ट दी कि 17 जनवरी की रात उनके घर से सोने की अंगूठी, ओम, पायल तथा करीब 70-80 हजार रुपये चोरी हो गए। घटना के समय परिवार नसीराबाद गया हुआ था। पड़ोसी से सूचना मिलने पर चोरी का पता चला।

संक्षिप्त

शपथ ग्रहण समारोह कल

निवाई। जांगिड़ ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर में 16 मार्च को नव निर्वाचित कार्यकारणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यवाहक तहसील अध्यक्ष कैलाश चैनपुरा ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रामगोपाल सुथार, महासभा के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम पंवार, राजनीतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जांगिड़, कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम जांगिड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय हर्षवाल, भाजपा जिलामंत्री नीलू जांगिड़ होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हनुमानप्रसाद जांगिड़ रानोली करेंगे। समारोह में विधायक रामसहाय वर्मा, पालिका अध्यक्ष दिलीप ईसरानी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, एडिशनल एसपी सुखदेव जांगिड़, पूर्व सदस्य वित्त विभाग हरिशंकर जांगिड़, टोंक छात्रावास अध्यक्ष कालूराम जांगिड़ एवं कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष परमेश्वर जांगिड़ कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी भाग लेंगे।

9 साल में 23 हजार बेटियों के हाथ पीले

लालसोट। जहां कई लोग समाज सेवा की बातें करते हैं, वहीं निमोद गांव के समाजसेवी देशराज बड़ोदिया ने सेवा को अपना मिशन बनाकर हजारों गरीब परिवारों की बेटियों का घर बसाया है।वर्ष 2017 में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में आर्थिक तंगी देखने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि कोई भी बेटी पैसों के अभाव में विवाह से वंचित नहीं रहेगी। पिछले 9 वर्षों में 76 सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर करीब 23 हजार जरूरतमंद बेटियों की शादियां कराई जा चुकी हैं। कई बेसहारा परिवारों की बेटियों की निशुल्क शादी कराकर देशराज बड़ोदिया ने समाज सेवा की मजबूत मिसाल पेश की है।

बैठक संपन्न

पावटा। यूजीसी से जुड़े मुद्दों और प्रस्तावित नीतियों के विरोध में सर्वण समाज व विभिन्न संगठनों द्वारा आगामी 16 मार्च को पावटा रामलीला मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम को लेकर बड़नगर इकाई द्वारा तैयारी बैठक का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का निस्तारण

लालसोट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को तालुका विधिक सेवा समिति लालसोट मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई।

तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव राहुल कुमार शर्मा ने बताया कि लालसोट न्यायालय परिसर में लोक अदालत के लिए दो बैंचों का गठन किया गया। पहली बैंच में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ऋतु चंदानी ने 170 मूल प्रकरणों का निस्तारण करते हुए करीब 2 करोड़ 28 लाख 97 हजार 68 रुपये के अवार्ड पारित किए। वहीं

लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण कर पक्षकारों को राहत प्रदान की।

दूसरी बैंच में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मधु शर्मा ने 155 प्रकरणों का निपटारा करते हुए लगभग 26 लाख 88 हजार 239 रुपये का समझौता कराया।

इसके अतिरिक्त राजस्व प्रकृति के 177 लंबित मामलों का भी निस्तारण किया गया। प्री-लिटिगेशन के तहत बैंक रिकवरी एवं बिजली बिल भुगतान से जुड़े मामलों में करीब 76 लाख 23 हजार रुपये का समझौता हुआ। लोक अदालत में और सहित विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों और बिजली विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 35011 प्रकरणों का निपटारा किया

किशनगढ़ बास। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में शनिवार को खैरथल जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का आयोजन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) शैलेंद्र व्यास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य

■ लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत दिलाकर उनके विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना रहा

आमजन को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत दिलाकर उनके विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना रहा।

राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश खैरथल) शैलेंद्र व्यास, जिला विधिक सेवा

राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ करते हुए जिला सेशन न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास, व अन्य अधिकारीगण ।

प्राधिकरण सचिव रनवीर सिंह, अपर जिला एवं शासन न्यायाधीश संख्या - 01 किशनगढ़ बास दीपेंद्र माथुर, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट संख्या -02नीतू रानी ने मां शारदे की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया। खैरथल जिले में कुल 8 बेंचों का गठन किया गया एवं खैरथल जिला मुख्यालय पर एक बेंच का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रनवीर सिंह एवं सदस्य के रूप में नायब तहसीलदार मुकेश वर्मा एवं अधिवक्ता प्रताप सैन मौजूद रहे। लोक अदालत के दौरान आपसी समझाइश और राजीनामे के माध्यम से न्याय की भावना को सर्वोपरि रखा गया। बेंच द्वारा विशेष रूप से बैंक, बिजली, पानी और फाइनेंस विभागों से संबंधित प्री-लिटिगेशन (न्यायालय में वाद लाने से पूर्व के प्रकरण) मामलों पर गहन विचार-विमर्श कर उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान व्यापक स्तर पर कार्य किया गया जिसके अंतर्गत कुल 45406 प्री-लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को विचारार्थ लिया गया।

वनस्थली विद्यापीठ का 42वाँ दीक्षान्त समारोह आयोजित

टोंक/जयपुर। वनस्थली विद्यापीठ का 42वाँ दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, भारत सरकार थे। वनस्थली के स्वागत द्वार पर विद्यापीठ के अध्यक्ष प्रो. सिद्धार्थ शास्त्री, कुलपति प्रो. ईना आदित्य शास्त्री, कोषाध्यक्ष प्रो. सुधा शास्त्री एवं वनस्थली सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निदेशक प्रो. अंशुमान शास्त्री ने स्वागत किया। तत्पश्चात् वनस्थली सेवा दल के बैण्ड द्वारा राष्ट्रीय सलामी के उपरान्त छात्राओं

प्रो. अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे ने वनस्थली की मूल प्रेरणा शक्ति स्थल श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर का अवलोकन किया।

ने पारंपरिक शैली में तिलक लगा कर एवं सूत की माला पहना कर स्वागत गान के द्वारा मुख्य अतिथि का अभिनन्दन किया। स्वागत के पश्चात् मुख्य अतिथि महोदय ने वनस्थली की मूल प्रेरणा शक्ति स्थल श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर व संस्थापकों के मूल निवास स्थान गाँधी घर का अवलोकन किया। कुलपति, प्रो. ईना आदित्य शास्त्री द्वारा मुख्य अतिथि को इस स्थान की महत्ता से अवगत कराया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि लक्ष्मीबाई मैदान में ध्वजारोहण कर वनस्थली सेवादल व एनसीसी कैडेट द्वारा द्वारा प्रस्तुत परेड में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि कला मंदिर में छात्राओं एवं देश-विदेश के अग्रणी कलाकारों की चित्रकारी एवं पेटिंग्स का अवलोकन किया। तदुपरान्त वे वीरबाला मैदान में घुड़सवारी, महदाजी शूटिंग रेंज में शूटिंग एवं मारूत मैदान में फ्लाइंग क्लब की गतिविधियों को देख कर अभिभूत हो गए।

इसी क्रम में वे विद्यापीठ के शैक्षिक विभागों स्कूल ऑफ डिजाइन, स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एवं सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिदर्शन किया। तदुपरान्त संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा सुर मंदिर सभागार में शास्त्रीय संगीत एवं राजस्थानी लोक

■ 'वनस्थली जैसी संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की साकार परिकल्पना का जीवन्त उदाहरण'

नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वनस्थली की परम्परा के अनुसार मंगलाचरण एवं वनस्थली गीतिका के पश्चात् कुलपति महोदया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि इन अवसरों पर आम तौर पर औपचारिक जीवन परिचय दिया जाता है परन्तु इन परिचयों से सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का आकलन नहीं किया जा सकता। वे इनसे कहीं ऊपर होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम पुरुषोत्तम दत्त पुत्र श्री जगदीश चन्द्र निवासी सी-36-सी, बरकत नगर विस्तार, टोंक रोड, जयपुर 302015 से बदलकर पुरुषोत्तम दत्त शर्मा (Purushottam Dutt Sharma) पुत्र श्री जगदीश चन्द्र रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

मैंने अपना नाम सुरभि लुनावत से बदलकर सुरभि लोढ़ा रख लिया है। भविष्य में मुझे सुरभि लोढ़ा के नाम से जाना जाए। निवासीः A-7, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर (राज.) 302018

मैंने (मोनिका कुल्हरी) अपने पुत्र का नाम ईशान से बदलकर ईशान धनकड़ कर लिया है। भविष्य में उसे ईशान धनकड़ के नाम से जाना जावे। पताः 1/26, पॉवर हाउस के सामने, नियर जे.बी. शाह कॉलेज हाउसिंग बोर्ड झुंझुनू, राजस्थान

मैंने (मोनिका कुल्हरी) अपने पुत्र का नाम विहान से बदलकर विहान धनकड़ कर लिया है। भविष्य में उसे विहान धनकड़ के नाम से जाना जावे। पताः 1/26, पॉवर हाउस के सामने, नियर जे.बी. शाह कॉलेज हाउसिंग बोर्ड झुंझुनू, राजस्थान

मैं रईस खान पुत्र हबीब खान मेरे विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 21170062 के नंबर 210452001379 मैं मेरा नाम RAISH KHAN गलत अंकित है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजों में RAIS KHAN सही अंकित है अतः भविष्य में मुझे इसी सही नाम से जाना जावे। निवासी- 17 करीम कॉलोनी, दिल्ली बायपास रोड जयपुर, राजस्थान

I have changed my name from Suniti Badaya to Suniti Gupta W/o Gaurav Gupta R/o 204/2, Krishna Kripa Apartment, Subhash Nagar, Jaipur. For all purpose.

I krishna upadhyaya legally wedded spouse of NCC-PC 11635Y major Late Rajendra kumar resident of 77 sudha enclave mandir Marg goliyawas new sanganer road mansarovar jaipur that I want to change my daughter name from NEELAM To VIBHA UPADHYAYA vide affidavit dated 12/3/26 before sub divisional magistrate jaipur (second) sanganer

खोया पाया

भूखण्ड संख्या D 346 SINGHAL SNG CITY का आवंटन पत्र कही खो गया है मिलने पर सम्पर्क करे। रेनु मोबाइल नम्बर 8306948306

भूखण्ड संख्या 558 शौर्य नगर का आवंटन पत्र कही खो गया है मिलने पर सम्पर्क करे। इंद्रा मोबाइल नम्बर 8306948306

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1815 चूंकि प्रार्थी श्री AMARLAL NARAINDAS AHUJA, 802, UPASANA UMA RESIDENCY, PLOT NO. 417-419A, OPPOSITES V PUBLIC SCHOOL, ADARSH NAGAR, JAWAHAR NAGAR JAIPUR, RAJASTHAN-302004 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास गीता भवन मंडल ट्रस्ट ADARSH NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302004 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1690 चूंकि प्रार्थी श्री ALPANA SHARMA, AROGYA BHAWAN OM VIHAR JAIPUR ROAD CHOMU ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास BHARTIYA YOG, AYURVED EVM PRAKRATIK CHIKITSA ANUSANDHAN SANSTHAN, AROGYA BHAWAN OM VIHAR JAIPUR ROAD CHOMU के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 04.05.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1897 चूंकि प्रार्थी श्री रिकेश कुमार मीना, सौथा, तहसील महवा, जिला दौसा 321612 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सेवा संकल्प संस्थान, ठीकरिया तह सिकराय, जिला दौसा 303509 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22.05.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1831 चूंकि प्रार्थी श्री LAXMI NIWAS BANGUR, P. NO. 28, GOMS DEFENCE COLONY, 8-AVENUE, VAISHALI NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास दी इंडियन कौंसिल फॉर दी चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी राजस्थान B-21, 22 GODOWN INDUSTRIAL AREA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 21.05.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-4
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर
अक्षित बनाम गिर्राज व अन्य
वाद बाबत....
वाद संख्या 12 सन् 22

14. प्रदीप पुत्र श्री राजबिहारी जी, 15. संदीप पुत्र श्री राजबिहारी जी, निवासीगण मकान नम्बर 1765, दालवाला भवन, सोथली वालो का रास्ता, चौंडा रास्ता, जयपुर (राजस्थान), 16. श्रीमती अंजु पत्नी श्री प्रशांत जी पुत्री श्री राजबिहारी निवासी सिंधी कैम्प, निवाई भवन, जयपुर, 17. श्रीमती मंजु पत्नी श्री कार्तिक जी पुत्री श्री राजबिहारी निवासी सफायर अपार्टमेन्ट, बापूनगर, जयपुर, 18. विष्णु पुत्र श्री मोहनलाल जी, 19. दिनेश पुत्र श्री मोहनलाल जी, 20. दीपक पुत्र श्री मोहनलाल जी, 21. लोकेश पुत्र श्री राजेन्द्र जी, 22. श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री विनित जी पुत्री श्री राजेन्द्र जी, निवासीगण मकान नम्बर 2300, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान), 23. आलोक पुत्र श्री विजेन्द्र पौत्र राधावल्लभ जी, 24. श्रीमती सारिका पुत्री श्री विजेन्द्र पत्नी श्री गिरिश जी, निवासीगण मकान नम्बर 2298, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान), 25. श्रीमती रेणु पत्नी श्री रवि जी पुत्री श्री विजेन्द्र जी, निवासी प्लाट नम्बर 301, ए-18 वन विहार कॉलोनी, कीर्तिनगर, टोंक रोड, जयपुर, 26. अंकित पुत्र श्री महेश जी पौत्र श्री राधावल्लभ जी, जाति अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 2298, रामलला जी रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान)
ने आपके विरुद्ध... के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 3 सन् 26 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है, पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे में व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह आज दिनांक 13 माह 03 सन् 2006 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर
वरिष्ठ रीडर-अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-4
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर
अक्षित बनाम गिर्राज व अन्य
वाद बाबत....
वाद संख्या 12 सन् 22

1. गिर्राज पुत्र श्री राधाकृष्ण जी, 2. गिरधारी पुत्र श्री राधाकृष्ण जी, 3. रमेश पुत्र श्री रामधाकृष्ण जी, 4. नवल पुत्र श्री राधाकृष्ण जी, 5. श्रीमती शकुन्तला पुत्री श्री राधाकृष्ण जी, 6. श्रीमती मैना पुत्री श्री राधाकृष्ण जी, 7. श्रीमती कान्ता पुत्री श्री रामधाकृष्ण जी, समस्त निवासीगण मकान नम्बर 2298, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान), 8. महेश पुत्र श्री राधावल्लभ जी, 9. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री विष्णु जी पुत्री श्री राधावल्लभ जी समस्त निवासीगण मकान नम्बर 2298, रामलला जी रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान), 10. राजेन्द्र पुत्र श्री राधावल्लभ जी निवासी मकान नम्बर 2300, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान), 11. प्रेमचन्द पुत्र श्री माधोबिहारी जी पौत्र राधेश्याम, 12. सुनील पुत्र श्री माधोबिहारी जी पौत्र राधेश्याम, निवासीगण मकान नम्बर 1765, दालवाला भवन, सोथली वालो का रास्ता, चौंडा रास्ता, जयपुर (राजस्थान), 13. तुलसी बाई पुत्री माधोबिहारी उम्र 50 वर्ष निवासी आगरा रोड, मुर्गा फार्म के पास, आगरा रोड, जयपुर
उक्त.... ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि....
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 16 माह 03 सन् 2026 को 10 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रुप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रुप से किया जाएगा।
यह कि आज दिनांक 13 माह 3 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर
वरिष्ठ रीडर-अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर महानगर द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिये सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-4
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर
अक्षित बनाम गिर्राज व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र
प्रार्थना-पत्र संख्या -13/22

1. गिर्राज पुत्र श्री राधाकृष्ण जी, 2. गिरधारी पुत्र श्री राधाकृष्ण जी, 3. रमेश पुत्र श्री राधाकृष्ण जी, 4. नवल पुत्र श्री राधाकृष्ण जी, 5. श्रीमती शकुन्तला पुत्री श्री राधाकृष्ण जी, 6. श्रीमती मैना पुत्री श्री रावधाकृष्ण जी, 7. श्रीमती कान्ता पुत्री श्री राधाकृष्ण जी, समस्त निवासीगण मकान नम्बर 2298, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान), 8. महेश पुत्र श्री राधावल्लभ जी, 9. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री विष्णु जी पुत्री श्री राधावल्लभ जी, समस्त निवासीगण मकान नम्बर 2298, रामलला जी रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान), 10. राजेन्द्र पुत्र श्री राधावल्लभ जी निवासी मकान नम्बर 2300, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान), 11. प्रेमचन्द पुत्र श्री माधोबिहारी जी पौत्र राधेश्याम, 12. सुनील पुत्र श्री माधोबिहारी जी पौत्र राधेश्याम, निवासीगण मकान नम्बर 1765, दालवाला भवन, सोथली वालो का रास्ता, चौंडा रास्ता, जयपुर (राजस्थान), 13. तुलसी बाई पुत्री माधोबिहारी उम्र 50 वर्ष निवासी आगरा रोड, मुर्गा फार्म के पास, आगरा रोड, जयपुर
उक्त.... ने इस न्यायालय में यह आवेद